लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5649

दिनांक 26.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

5649. श्री विद्युत बरन महतो :
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :
श्री गजानन कीर्तिकर :
श्री सुधीर गुप्ता :
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत प्रदान की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान लाभान्वित शिल्पकारों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त योजना के कार्य विस्तार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) एवं (ख): जी हां महोदय, सरकार ने कारीगरों को बचत एवं ऋण हेतु स्वावलंबन समूहों में संगठित करने, कारीगरों की आत्मनिर्भरता के लिए सामुदायिक व्यापार उद्यमों के गठन एवं संचालन के विभिन्न पहलुओं पर स्वावलंबन समूहों को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से वर्ष 2001-02 में अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) आरंभ की। योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार से हैं:-

1) अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (बेस लाइन सर्वे और कारीगरों का जुटाव)
2) डिजाइन एवं प्रोद्यौगिकी उन्नयन
3) मानव संसाधन विकास
4) कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ
5) इंफ्रास्ट्रक्चर एवं तकनीकी सहायता
6) अनुसंधान एवं विकास
7) विपणन सहायता एवं सेवाएं

(ग) एवं (घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के तहत राज्य/संघराज्य क्षेत्र वार प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध-**I** पर संलग्न है। इस चालू वित्तीय वर्ष (2019-20) के दौरान, सरकार ने उत्पादक कंपनी के स्कोप के बारे में कलस्टर कारीगरों को शिक्षित करने हेतु अभियान आयोजित करने, कलस्टर हेतु दीर्घकालिक स्थायी व्यापार विकास के लिए इसके महत्व और देश भर के विभिन्न कलस्टर क्षेत्रों में उत्पादक कंपनियों के निर्माण के लिए भावी कारीगरों / स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रेरित करने की पहल की है।

(ङ): सरकार ने देश भर में 90 कलस्टरों की पहचान की है और उन्हें अपनाया है जिसमें महत्वकांक्षी जिलों, महिला कलस्टरों, कमजोर वर्गों और निर्यात संभावित कलस्टरों को भी कवर किया जाएगा। इसका उद्देश्य इन कलस्टरों के स्वावलंबन समूहों/ कारीगरों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के द्वारा 03 वर्षों की अवधि में इन कलस्टरों का रूपांतरण करना है।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने हस्तकला सहयोग शिविरों के दौरान आधार लिंक्ड पहचान कार्ड, विपणन सुविधाएं, मुद्रा ऋण के माध्यम से कारीगरों को सुविधा प्रदान करने और कारीगरों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं आम आदमी बीमा योजना के तहत कारीगरों के नामांकन के लिए देश भर में 300 से अधिक हस्तकला सहयोग शिविर आयोजित किए हैं।

दिनांक 26.07.2019 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5649 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण।

अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार स्वीकृत निधि के आंकड़े और लाभान्वित कारीगर							
क्रमांक	राज्य	2016-2017		2017-2018		2018-2019	
		स्वीकृत निधि (लाख रु. में)	लाभान्वित कारीगर	स्वीकृत निधि (लाख रु. में)	लाभान्वित कारीगर	स्वीकृत निधि (लाख रु. में)	लाभान्वित कारीगर
1.	अंडमान एंड निकोबार	0.00	0	0.00	0	16.40	800
2.	आंध्र प्रदेश	8.92	550	0.00	0	18.05	2050
3.	अरुणाचल प्रदेश	52.88	1190	34.86	140	4.50	1500
4.	असम	304.88	17235	350.94	6021	119.87	940
5.	बिहार	62.06	983	52.43	1880	21.45	1100
6.	छत्तीसगढ़	98.79	2840	9.60	60	15.45	120
7.	दिल्ली	0.00	0	4.50	530	3.50	700
8.	गोवा	13.30	530	0.00	0	0.00	0
9.	गुजरात	150.17	12150	613.17	10010	259.15	2020
10.	हरियाणा	44.79	1030	9.45	60	0.00	0
11.	हिमाचल प्रदेश	42.95	1340	4.50	530	16.17	290
12.	जम्मू एवं कश्मीर	187.82	9870	161.14	5090	1.50	500
13.	झारखंड	1.78	600	0.00	0	0.00	0
14.	कर्नाटक	14.50	850	0.00	0	0.00	0
15.	केरल	32.47	600	18.60	1120	0.00	0
16.	मध्य प्रदेश	325.58	15592	168.26	8895	101.25	1710
17.	महाराष्ट्र	91.81	2880	8.00	600	28.77	1580
18.	मणिपुर	283.67	24884	122.64	4460	42.07	300
19.	मेघालय	0.00	0	0.00	0	0.90	300
20.	मिज़ोरम	54.61	1630	0.00	0	0.00	0
21.	नागालैंड	60.74	1250	4.80	30	0.00	0
22.	ओडिशा	21.02	2250	69.81	2740	15.45	120
23.	पॉण्डिचेरी	0.00	0	0.00	0	0.00	0
24.	पंजाब	86.86	1930	64.12	360	26.95	390
25.	राजस्थान	140.57	3780	17.52	1560	6.73	230
26.	सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0.00	0
27.	तेलंगाना	0.00	0	11.10	560	2.10	700
28.	तमिलनाडु	0.60	200	0.00	0	0.00	0
29.	त्रिपुरा	53.20	2500	4.72	30	0.00	0
30.	उत्तर प्रदेश	322.38	18140	262.76	17150	228.50	2870
31.	उत्तराखंड	32.23	1380	76.08	3810	19.45	520
32.	पश्चिम बंगाल	10.19	50	1.50	500	0.00	0
	कुल	2498.84	126234	2070.53	66136	948.23	18740

****